परिशिष्ट - 01 [12/3/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 1040]

कार्यालय कलेक्टर (आदिम जाति कल्याण शाखा) जिला–पन्ना (म0प्र0)

E-mail – twelfarepan@mp.nic.in

क्रमांक–3109 /पीएमएजीवाई/एससीनि./आजाक./2022 पन्ना, दिनांक– 17.1.2022

प्रशासकीय स्वीकृति आदेश

आयुक्त अनुसूचित जाति विकास म.प्र. भोपाल द्वारा जिले के 24 ग्रामों का भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत चयन किया गया है एवं मार्गदर्शिका पुस्तिका में उल्लेखित प्रमुख विभागों के संकेतों के आधार पर ग्रामों का सर्वे कर प्रपत्र भारत सरकार के एम.आई.एस.पोर्टल पर फीड किये गये जिसके परिणाम स्वरूप (व्ही.डी.पी.) ग्राम विकास योजना तैयार की जाकर के ग्राम स्तरीय समिति की अनुशंसा एवं सत्यापन के आधार पर जिला स्तरीय समिति के निर्धारित सदस्यों द्वारा अनुमोदन अनुसार एवं आदर्श ग्रामों में भवन विहीन आंगनवाड़ियों के भवन निर्माण हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता अनुसूचित जाति उपयोजना मद (SCSP) से महिला एवं बाल विकास भोपाल से प्राप्त मानक प्राक्कलन/तकनीकी स्वीकृति एवं ड्राइंग के आधार पर एवं आयुक्त अनुसूचित जाति विकास म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक/पीएमजीवाई /F.No.16/2021–22/4633 भोपाल दिनांक–24.11.2021 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार निम्नलिखित ग्राम पंचायतों के ग्रामों में आंगनवाडी भवन निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र.	आदर्श ग्राम	ग्राम पंचायत	जनपद पंचायत	आदर्श ग्राम में भवन विहीन आंगनवाडियों का भवन निर्माण कार्य	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (लाखों में)	निर्माण एजेन्सी
1	2	3	4	5	6	7
1	सिरस्वाहा	सिरस्वाहा	पन्ना	आदर्श ग्राम में एक आंगनवाड़ी केन्द्र एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	28.26	ग्रा.यां.से.
2	रानीगंजपुरवा	रानीगंजपुरवा	पन्ना	आदर्श ग्राम में एक आंगनवाड़ी केन्द्र एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	28.26	ग्रा.यां.से.
3	हिनौता	खपटहा	पन्ना	आदर्श ग्राम में एक आंगनवाड़ी केन्द्र एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	28.26	ग्रा.यां.से.
4	नुनाही	गोल्हीपाठक	पन्ना	आदर्श ग्राम में एक आंगनवाड़ी केन्द्र एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	28.26	ग्रा.यां.से.
5	मानिकपुरविष्णु	सलेहा	गुनौर	आदर्श ग्राम में एक आंगनवाड़ी केन्द्र एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	28.26	ग्रा.यां.से.
6	चौंपा	तिदुनहाई	गुनौर	आदर्श ग्राम में एक आंगनवाड़ी केन्द्र एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	28.26	ग्रा.यां.से.
7	पिपरियादौन	पिपरियादौन	पवई	आदर्श ग्राम में एक आंगनवाड़ी केन्द्र एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	28.26	ग्रा.यां.से.
8	चांदनपुर	विल्हा	पवई	आदर्श ग्राम में एक आंगनवाड़ी केन्द्र एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	28.26	ग्रा.यां.से.
9	रैगुंवा	रैगुंवा	शाहनगर	आदर्श ग्राम में एक आंगनवाड़ी केन्द्र एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	28.26	ग्रा.यां.से.
10	पढरियाखुर्द	मडवा	शाहनगर	आदर्श ग्राम में एक आंगनवाड़ी केन्द्र एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	28.26	ग्रा.यां.से.
				(दो करोड़ ब्यासी लाख साठ हजार रू.मात्र) योग :–	282.60	

D:\year 2019\STHA ADESH.doc

- 786 -

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

Scanned with CamScan

शर्तें :—

1— संचालनालय महिला एवं बाल विकास म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक/मबावि/निर्माण/2021/1622 दिनांक—02.07.2021 द्वारा म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद के पत्र कमांक—1150/2021 भोपाल दिनांक—30.06.2021 द्वारा आंगनवाडी भवनों के निर्माण हेतु प्राक्कलित लागत 7.10लाख एवं बाउण्ड्रीवाल की लागत 2.40लाख कुल राशि रू. 9.50लाख स्वीकृत है उक्त निर्देशानुसार ही निर्माण कार्य करें।

2— आंगनवाडी भवन का निर्माण यथा संभव ग्राम में स्थित स्कूलों/शासकीय भवनों के परिसर में किया जावे।

3— विकास आयुक्त म.प्र. के परिपत्र कमांक—7418/22/वि—10/ग्रा.या.से./2016 दिनांक—24.12.2016 तथा 53/22/वि—10/2017, दिनांक—04.01.2017 में दिये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना आवश्यक होगा।

4— उक्त कार्यो की निर्माण एजेन्सी ग्राम पंचायत होगी।

5— कार्यो की राशि निर्माण एजेन्सी को प्राप्त होते ही कार्य प्रारंभ कर नियमानुसार राशि का आहरण एवं व्यय की कार्यवाही की जायेगी।

6— कार्यो की दी गई वित्तीय स्वीकृति अनुसार निर्धारित मापदण्ड अनुसार अनु.जाति बाहुल्य बस्ती/तकनीकि स्वीकृति में प्रदत्त कार्य स्थल पर ही कराये जावेगें तथा प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार शेष राशि आवंटन की उपलब्धता अनुसार दी जा सकेगी।

7— कार्य निर्धारित मापदण्ड के तहत् दो माह के अन्दर पूर्ण कराना अनिवार्य होगा तथा कार्य का मूल्यांकन, उपयोगिता एवं पूर्णतः प्रमाणपत्र संबंधित निर्माण एजेन्सी के माध्यम से कार्य के छायाचित्र सहित कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है

8— कार्य प्रारंभ करने के पूर्व कार्य शुरू होने के समय एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात् कार्य स्थल का छायाचित्र एवं कार्य स्थल पर योजना का नाम लिखकर साईनबोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

9— नियत समयावधि में कार्य पूर्ण न होने एवं संतोषजनक नही पाए जाने पर कार्य निरस्त कर दिया जावेगा।

10— म.प्र. शासन वित्त विभाग के निर्देशों एवं विभागीय निर्देशों के तहत् राशि इसी वित्तीय वर्ष में उपयोग को दृष्टिगत रखते हुये 02 माह में कार्य पूर्णता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्णता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नही करने पर शासन के निर्देशों के तहत् राशि का भुगतान करना संभव नही होगा इस हेतु संबंधित निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी रहेगी।

11— कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व एवं पश्चात् का छायाप्रति पूर्णता प्रमाण—पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

12— कार्य पूर्णतः पर कार्य संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित करना होगा।

13— कार्य स्थल पर योजना का नाम, स्वीकृत राशि, स्वीकृत वर्ष एवं विभाग के नाम का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

14— कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने एवं राशि का उपयोग नहीं होने पर संबंधित एजेन्सी से राशि एक मुश्त बसूल की जा सकेगा एवं इस हेतु निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगें।

15— कार्य की मानक गुणवत्ता हेतु संबंधित निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

16— इस योजना के तहत् स्वीकृत किये जाने वाले कार्यो का निरीक्षण विभाग के राज्य स्तरीय, संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय अधिकारी तथा संभगीय आयुक्त, कलेक्टर द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

17— यदि इन शर्तो में या इसमें अन्तःदृष्टि किन्ही भी उपबन्धों या उनसे उत्पन्न होने वाली किसी भी बात के संबंध में इसमें संबंधित पक्षों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होने पर कलेक्टर (आ.जा.क.) का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

(संजय कुमार मिश्र)
कलेक्टर
जिला—पन्ना म.प्र.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

D:\year 2019\STHA ADESH.doc

Scanned with CamScan

पृ.क्रमांक– 3110 /पीएमएजीवाई/एससीनि./आजाक./2022 पन्ना, दिनांक– 17.1.2022

प्रतिलिपि :–

1– निज सहायक मान्नीय केबिनेट मंत्री जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास म.प्र. भोपाल।
2– निज सहायक मान्नीय केबिनेट मंत्री खनिज साधन एवं श्रम विभाग म.प्र.।
3– निज सहायक मान्नीय सांसद संसदीय क्षेत्र खजुराहो म.प्र.।
4– निज सहायक मान्नीय विधायक विधानसभा क्षेत्र गुनौर/पवई जिला–पन्ना।
5– आयुक्त अनुसूचित जाति विकास म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।
6– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पन्ना।
7– संभागीय उपायुक्त आदिम जाति एवं अनु.जाति विकास सागर संभाग सागर।
8– कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग पन्ना।
9– जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास पन्ना।
10– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पन्ना,पवई,गुनौर,शाहनगर जिला–पन्ना।
11– निर्माण एजेन्सी ग्राम पंचायत ....जिला–पन्ना की ओर सूचनार्थ एवं प्रशासकीय स्वीकृति आदेशानुसार अंकित सभी शर्तों का पालन करते हुये कार्य प्रारम्भ कर समयावधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

कलेक्टर
जिला–पन्ना म.प्र.

D:\year 2019\STHA ADESH.doc

Scanned with CamScan